34

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा–324005

प्रबन्ध मण्डल की 34वीं बैठक दिनांक 24.07.2018

कार्यवृत

प्रबन्ध मण्डल की 34वीं बैठक दिनांक 24.07.2018 को 11:30 बजे विश्वविद्यालय के सत्कार भवन में स्थित सभा–कक्ष में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित उपस्थित हुए :–

	प्रो0 अशोक शर्मा माननीय कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	**अध्यक्ष**
2.	**श्री टी.पी. मीणा** प्रतिनिधि नामित सदस्य, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	नामित सदस्य
3.	**प्रो. जॉन वर्गीस** कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद्	सदस्य
4.	**श्री संदीप शर्मा** माननीय विधायक– कोटा दक्षिण	सदस्य
5.	**प्रो. मदन सिंह राठौड़** राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद	सदस्य
6.	**प्रो0 एन.के. जैमन** कुलपति द्वारा नाम निर्देशित अधिष्ठाता	सदस्य
7.	**प्रो0 आशु रानी** कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य	सदस्य
8.	**प्रो0 रीना दाधीच** कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य	सदस्य
9.	**डॉ. नीरज मिश्रा** वित्त नियंत्रक, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	**डॉ0 संदीप सिंह चौहान** कुलसचिव	सदस्य सचिव

संदीप चौहान

आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर; प्रो0 अरविन्द कुमार, कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य; प्राचार्य, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा, नामित सदस्य, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर; श्री प्रहलाद गुंजल, माननीय विधायक, कोटा–उत्तर तथा डॉ. एन.एल. गुप्ता, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

माँ सरस्वती की तस्वीर के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलन के साथ बैठक की शुरूआत हुई। बैठक प्रारम्भ में सदस्य सचिव द्वारा माननीय कुलपति महोदय एवं उपस्थित माननीय सदस्यों का अभिनन्दन किया गया। बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने कुलपति महोदय का प्रबन्ध मण्डल में उनकी प्रथम उपस्थिति पर स्वागत करते हुये अभिनंदन किया। तत्पश्चात् माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में विगत दिनों हुई विभिन्न उपलब्धियों/गतिविधियों के संबंध में सदन को अवगत करवाया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है: –

- माननीय कुलाधिपति व राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय का पंचम दीक्षांत समारोह दिनांक 04.04.2018 को विद्या–परिषद् व प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों के सहयोग/मार्गदर्शन तथा विश्वविद्यालय शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग से सानन्द सम्पन्न हुआ। विश्वविद्यालय के नवनिर्मित मेजर ध्यानचंद खेल संकुल एवं संता पीपा छात्रावास का ई–लोकार्पण भी माननीय राज्यपाल महोदय के कर–कमलों से दीक्षांत समारोह के दौरान किया गया।

- दीक्षांत समारोह के पूर्व दिवस को माननीय कुलाधिपति महोदय ने इस विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गये आदर्श ग्राम डूँगरज्या एवं फतेहपुर के शिष्ट मण्डल से संवाद कर उक्त गोद लिए ग्रामों में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्यों/गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की।

- विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक व सेमेस्टर स्कीम की सभी परीक्षाएं समय पर करवायी गई तथा उनके परीक्षा परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं।

- नवीन सत्र 2018–19 में Online आवेदन प्रक्रिया अपनाते हुए प्रवेश कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है तथा नवीन सत्र की कक्षाएँ 02 जुलाई 2018 से प्रारम्भ की जा चुकी है।

- इण्डिया टूडे पत्रिका द्वारा हाल ही में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों का सर्वेक्षण करवाया गया था, जिसमें इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर 30वीं रैंक प्राप्त हुई है, जो कि विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है।

- माननीय कुलाधिपति व राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा तीसरे ग्राम "धूलेट" को आदर्श ग्राम बनाने के लिए गोद लिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त ग्राम के लिए अपनी गतिविधियां प्रारम्भ कर दी गई है।

- विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की नवीन मूर्ति की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में है।

माननीय कुलपति महोदय के मार्गदर्शन एवं सद्प्रयासों की सदन द्वारा सराहना की गई।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर विस्तृत बिन्दुवार चर्चा कर निम्नानुसार संकल्प/निर्णय पारित किये गये :–

मद संख्या–1	:	**प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनाँक 15.03.2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**

संदीप चौधरी

निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की 33वीं बैठक दिनांक 15.03.2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किये जाने के संबंध में उक्त बाबत् श्री संदीप शर्मा, माननीय विधायक एवं प्रबन्ध मण्डल सदस्य तथा श्री एस.एन. शर्मा, प्रतिनिधि, नामित सदस्य, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग से प्राप्त टिप्पणीयों को सदन ने गंभीरता से लेते हुये यह निर्देशित किया कि भविष्य में बैठक में जो भी निर्णय लिये जायें वे ठीक उसी प्रकार कार्यवाही विवरण में उल्लेखित किये जावें। इस प्रकार की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो, यह सुनिश्चित किया जावे। तदुपरान्त, प्रबन्ध मण्डल की 33वीं बैठक दिनांक 15.03.2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
मद संख्या–2	:	**प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनाँक 15.03.2018 में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित करना।**
निर्णय	:	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 15.03.2018 में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–3	:	**वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनांक 25.04.2018 का कार्यवाही विवरण एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट अनुमानों तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के संशोधन बजट अनुमान का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2017–18 के संशोधित आय–व्यय अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये आय–व्यय प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया, जिसके अन्तर्गत आय मद में राशि रु. 82.45 करोड़ एवं व्यय मद में राशि रु. 82.37 करोड़ के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि विश्वविद्यालय का आगामी बजट प्रबन्ध मण्डल की बैठक में 31 मार्च अर्थात नवीन वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व ही अनुमोदित करवा लिया जावें। आगामी वर्षों में बजट को अंतिम रूप देने से पूर्व समीक्षा समिति से समीक्षा करवाने के पश्चात् ही वित्त समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ रखे जाने का भी निर्णय लिया गया।
मद संख्या–4	:	**विभिन्न न्यायालयों में विश्वविद्यालय के विरूद्ध दर्ज होने वाले विधिक प्रकरणों/विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज करवाये जाने वाले प्रकरणों में पेरवी करने हेतु अधिवक्ताओं के नाम अनुमोदित पैनल में सम्मिलित करने बाबत्।**
निर्णय	:	विभिन्न न्यायालयों में विश्वविद्यालय के विरूद्ध दर्ज होने वाले विधिक प्रकरणों/विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज करवाये जाने वाले प्रकरणों में पेरवी करने हेतु विश्वविद्यालय अनुमोदित अधिवक्ता पेनल में निम्नांकित अधिवक्ताओं को सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी प्रस्तावों का अनुमोदन किया गयाः– 01 श्री दीन दयाल चितलांगी, जोधपुर 02 श्री हरिश चंद्र शर्मा, जयपुर
मद संख्या–5	:	**विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की संविदा अवधि में दिनांक 01.07.2018 से आगामी 6 माह के लिए पूर्ववत शर्तों पर अभिवृद्धि करने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की संविदा अवधि में दिनांक 01.07.2018 से आगामी 6 माह के लिए पूर्ववत शर्तों पर अभिवृद्धि करने संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

संदीप शर्मा

मद संख्या–6	:	**डॉ. प्रवीण गोयल, उपकुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के निलम्बन आदेशों को बहाल किये जाने सम्बन्धी प्रकरण हेतु गठित जाँच समिति की रिपोर्ट एवं उक्त प्रकरण विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत है :–**
निर्णय	:	डॉ. प्रवीण गोयल, उपकुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के निलम्बन आदेशों को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 15.03.18 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक 10694–700 दिनांक 31.03.18 के द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 04.06.18 को सम्पन्न हुई। समिति का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति की अनुशंषा का अनुमोदन करते हुये तदनुसार प्रबन्ध मण्डल द्वारा डॉ. गोयल के निलम्बन आदेशों को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश दिनांक 18.01.18 में उल्लेखित शर्तो पर बहाल किये जाने सम्बन्धी आदेशों की पुष्टि की गई।
पूरक मद सं. –1	:	**विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना में वृद्धि पर विचार कर निर्णय करना तथा पिछले सत्र में प्रवेशित छात्रों हेतु सत्र 2018–19 में शुल्क यथावत रखने के माननीय कुलपति के निर्णय दिनांक 28.06.2018 को रिपोर्ट करना।**
निर्णय	:	सत्र 2017–18 में प्रवेशित छात्रों से सत्र 2018–19 में शुल्क यथावत रखने सम्बन्धी माननीय कुलपति के निर्णय दिनांक 28.06.2018 को प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। इसी सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की केन्द्रीय प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 12.07.18 में की गई अनुशंषाओं पर विचार–विमर्श कर, यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए आगामी दो वर्षो तक प्रतिवर्ष शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जावेगी। 02 सत्र पश्चात् शुल्क वृद्धि संबंधी समीक्षा कर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।
पूरक मद सं. –2	:	**विश्वविद्यालय कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को विश्वविद्यालय के विभिन्न शुल्कों में छूट हेतु गठित समिति की अनुशंषाओं पर विचार कर उनका अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय शिक्षण शुल्क/प्रवेश शुल्क इत्यादि तथा परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 435 दिनांक 04.07.18 के द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 23.07.18 के द्वारा की गई अनुशंषाओं का विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया। उक्त समिति की अनुशंषाओं में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तो के सम्बन्ध में पृथक से आदेश प्रसारित किये जावेगें।
पूरक मद सं. –3	:	**स्पोर्टस बोर्ड की बैठक दिनांक 23.07.2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय स्पोर्टस बोर्ड की बैठक दिनांक 06.10.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने सम्बन्धी प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 15.03.18 में प्रस्तुत किये गये थे। विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 15.03.18 में स्पोर्टस बोर्ड के उक्त कार्यवाही विवरण की पुनः समीक्षा कर प्रस्ताव पुनः आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था।

संदीप चौहान

		विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में स्पोर्टस बोर्ड की दिनांक 23.07.18 को पुनः बैठक आयोजित की गई। स्पोर्टस बोर्ड की बैठक दिनांक 23.07.18 की अनुशंषायें दिनांक 24.07.18 को सम्पन्न हुई बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई। तदनुसार प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्पोर्टस बोर्ड की बैठक दिनांक 23.07.18 के द्वारा की गई अनुशंषाओं का अनुमोदन इस शर्त पर किया गया कि बिन्दु संख्या 11(ई) (खेल कोटे से विश्वविद्यालय में Out right Admission लेने सम्बन्धी प्रस्तावों पर यह निर्णय लिया गया कि उक्त कोटे के तहत् प्रवेश के समय ही छात्र की प्रवेश योग्यता को सुनिश्चित कर लिया जावे यथा उक्त कोटे के तहत् प्रवेश पश्चात् छात्रसंघ गतिविधि/उम्मीदवारी प्रभावित नहीं होगी।

अन्त में कुलपति महोदय ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

(डॉ० संदीप सिंह चौहान)
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव